राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

ाकाशक :

NCCD

ृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-भारत

ा स्वायत्त संगठन

राष्टीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

ए. लेखा एवं लेखापरीक्षा 1

बी. स्थापना एवं एच.आर. स्थिति(स्टेट्स) 1

सी. पृष्ठभूमि : कृषि मंत्रालय द्वारा कोल्ड-चेन पर कार्यदल(टास्क फोर्स) 2

डी. एन.सी.सी.डी- उद्देश्य एवं विषयपरक 3

ई. एन.सी.सी.डी की कार्यकारिणी 4

एफ. एन.सी.सी.डी. की शासी परिषद(गवर्निंग काउंसिल) 5

जी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे..6

राष्टीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

कृषि भवन, कृषि एवं कॉपरेशन मंत्रालय, नई दिल्ली- 110 001

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

ए. लेखा एवं लेखापरीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद डी.ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु. को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान करना था । दिनांक 31-3-2012 तक पूंजीगत निधि के रूप में रु.12.5 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी । इसके अलावा ब्याज की आय, जिसमें से एन.सी.सी.डी. द्वारा प्रशासित सेवाओं के लिए फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि इसे शासी परिषद(गवर्निंग काउंसिल) द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की जाती है कि इसमें दिन-प्रतिदिन आधार पर प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी कम होती जा रही है और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है । .

वित्त-वर्ष 2011-12 (दिनांक 27-1-2011 से दिनांक 31-3-2012 तक अवधि के लिए) के पहले खातों की वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स उमेश बाबू अग्रवाल द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी ।

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मद	रुपए लाख में
ब्याज तथा अन्य से आय	12.34
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	00.38
व्यय से अधिक आय	11.96
घटाएं: आयकर का प्रावधान	3.24
जनरल रिजर्व से अंतरित शेष	8.72
कुल	11.96

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु लेखापरीक्षित खाते संलग्न हैं ।

बी. स्थापना एवं एच.आर. स्थिति(स्टेट्स)

एन.सी.सी.डी. ने एक सोसायटी के रूप में पंजीकरण के बाद वर्ष 2011-12 की अवधि में कोई कार्य नहीं किया। इस अवधि में श्री बिजय कुमार, एम.डी.- एन.एच.बी. को दिनांक 1-4-2011 से दिनांक 21-3-2012 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

दिनांक 09-02-2012 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद श्री शैलेंद्र कुमार निदेशक(डी.ए.सी.) को दिनांक 23-3-2012 को एन.सी.सी.डी. के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था । मार्च, 2012 तक भुगतान के आधार पर प्राप्त सदस्यता समाप्त हो गई थी । इस स्तर पर कोई अन्य जनशक्ति(मैनपॉवर) नहीं थी।

एन.सी.सी.डी. की कार्यकारिणी में सचिव(ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु) की अध्यक्षता में 8 सदस्य शामिल थे। शासी परिषद में अध्यक्ष के रूप में सचिव(ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु) के अधीन 14 सदस्य शामिल थे ।

सी. पृष्ठभूमि : कृषि मंत्रालय द्वारा कोल्ड-चेन पर कार्यदल(टास्क फोर्स)

कृषि मंत्रालय द्वारा देश में कोल्ड-चेन विकास के लिए दिशा-निर्देश(रोड मैप) विकसित करने के लिए दिनांकित 3 मई, 2007 के आदेश द्वारा एक कार्यदल(टास्क फोर्स) का गठन किया गया था । भारत में कोल्ड-चेन के विकास पर कार्यदल का तत्कालीन अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा नेतृत्व किया गया था ।

कार्यदल(टास्क फोर्स) ने अगस्त, 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोल्ड-चेन विकास में विभिन्न जटिलताओं का आकलन किया । इसने अपने प्रबंधन एवं प्रकार्य(फंक्शन) हेतु रु.125 करोड़ के परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की । कार्यदल(टास्क फोर्स) ने सिफारिश की कि इसे एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाए और निकाय को (i)सरकार को सलाह देना और (ii) परिचालन प्रबंधक की जरूरतों को पूरा करने हेतु दो-स्तरीय तरीके से कार्य करना चाहिए ।

कार्यदल(टास्क फोर्स) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र को विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, कोल्ड-चेन और संबद्ध प्रौद्योगिकी, आई.टी., लॉजिस्टिक्स, निर्यात तथा विपणन और बैंकिंग/वित्त से लिए गए उच्च श्रेणी के पेशेवरों/विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए । एन.सी.सी.डी. के संविधान और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए, कार्यदल ने कहा कि केंद्र को परियोजना लक्ष्यों का पीछा करते हुए जिम्मेदार व्यवसाय व्यवहारों के एक सेट को अनिवार्य किया जाएगा । इसके लिए अंतर-संगठनात्मक समन्वय कार्य की आवश्यकता होगी और अनिवार्य प्राधिकार वाले सरकार के भीतर विभिन्न विभागों के साथ कार्य करने हेतु इसे सशक्त बनाया जाएगा ।

कार्यदल(टास्क फोर्स) ने कहा कि एन.सी.सी.डी. का नेतृत्व एक निदेशक-सह-प्रशासक करेगा और जिसे निम्नलिखित प्रतिष्ठित सदस्य विशेषज्ञों (i)कोल्ड-चेन आधारिक संरचना विशेषज्ञ (ii)गुणवत्ता एवं प्रमाणन विशेषज्ञ (iii)लॉजिस्टिक विशेषज्ञ (iv)परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए परियोजना वित्त विशेषज्ञ, (v)सूचना प्रौद्योगिकी और समन्वय विशेषज्ञ वाली बहु-कुशल सदस्य प्रबंधन संरचना की एक टीम सहयोग करेगी ।

कार्यदल(टास्क फोर्स) ने कहा कि केंद्र के निदेशक को भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव के समकक्ष पद वाला एक दूरदर्शी व्यक्ति और अधिमानत: कोल्ड-चेन के बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक और आई.टी. में व्यापक औद्योगिक अनुभव के साथ वरिष्ठ स्तर का तकनीक-तंत्री-सह-व्यवस्थापक होना चाहिए । इसने प्रसताव दिया कि इसकी दक्षता और स्वायत्तता को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन मानकों पर एन.सी.सी.डी. के निदेशक के साथ पाँच वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर अधिमानत: हस्ताक्षर किए जाए । विशेषज्ञ सदस्य उद्योग से लिए गए संबंधित क्षेत्रों के विशेषा होंगे और भारत सरकार में निदेशक के समकक्ष रैंक के होंगे । उयुक्त कर्मचारियों सहित उपर्युक्त विशेषज्ञों को आगे सहयोग किया जाएगा ।

भारत में एकीकृत कोल्ड-चेन के विकास हेतु इसके सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सरकारी नीति विकास से अच्छी तरह से जुड़ने के लिए इस केंद्र को सुविधाजनक बनाने एवं सहायता करने के लिए यह भी सुझाव दिया गया है कि डी.ए.सी. और एन.एच.एम. के मार्केटिंग डिवीजन के उपयुक्त प्रतिनिधियों को एन.सी.सी.डी. के निदेशक और प्रमुख की सहायता के लिए एन.सी.सी.डी. के मानद सदस्यों के रूप में सह-चयन किया जा सकता है ।

एन.सी.सी.डी. की स्थापना अप्रैल, 2009 तक करने की परिकल्पना की गई थी और कार्यदल द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए वर्ष 2012 तक के लिए तैयार की गई एक बेहतर कार्ययोजना उपलब्ध कराई गई थी । कोल्ड लॉजिस्टिक्स के लिए एस.पी.वी. के गठन में एन.एच.एम. की संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार को परिचालन सहायता प्रदान करने और परिचालन प्रबंधन के लिए प्राथमिक भूमिका दो-स्तरीय थी, राष्ट्रीय हरित ग्रिड को बढ़ावा देना, एकीकृत कोल्ड-चेन की स्थापना की सुविधा के लिए एक कोल्ड-चेन नीति और प्रोटोकॉल और प्रमाणन प्रणाली का मसौदा तैयार करना ।

डी. एन.सी.सी.डी - उद्देश्य एवं विषयपरक

एन.सी.सी.डी. एक पंजीकृत सोसायटी है, जो सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोड के तहत स्वायत्त तरीके से कोल्ड-चेन पर प्रबुद्ध मंडल(थिंक टैंक) के रूप में कार्य करती है और सरकार की किसी लागत के बिना संचालित करती है । प्रारंभ में सरकार द्वारा पूंजी प्रदान की गई थी और एन.सी.सी.डी. के विषयपरक वर्ष 2008 की रिपोर्ट में कार्यदल की सिफारिशों से लिए गए थे । ये निम्नानुसार सिफारिश, सुझाव, आकलन, अंडरटेक एवं समन्वय, सुविधाजनक और पालन(फोस्टर) के रूप में हैं :

- पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित कोल्ड-चेन आधारिक संरचना/भवन के लिए मानकों और प्रोटोकॉलों की सिफारिश करना ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रैक्टिसों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कोल्ड-चेन उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आधारिक संरचना/भवन, प्रक्रिया और सेवाओं के बेंचमार्किंग और प्रमाणन के लिए तंत्र का सुझाव देना ।
- संभावित निवेशकों/उद्यमियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक दिशा-निर्देश सुझाना ।
- कोल्ड-चेन आधारिक संरचना के लिए उपयुक्त आई.टी. आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का मूल्यांकन और विकास करना ।
- हितधारकों के परामर्श से कोल्ड-चेन उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास(आर एंड डी) कार्य करना और समन्वय करना ।
- मानव संसाधन विकास(एच.आर.डी.) और क्षमता निर्माण के कार्य को शुरू करना और समन्वय करना । यह कोल्ड-चेन विकास के लिए संबंधित इन-हाउस प्रशिक्षण, अल्पकालिक/दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित कर सकता है ।
- हितधारकों को एकीकृत कोल्ड-चेन के लाभों के बारे में जागरूक करने तथा शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना ।
- कोल्ड-चेन के विकास से संबंधित उचित नीतिगत ढांचे की सिफारिश करना ।
- विकारी(पेरिशेबल) कृषि, बागवानी और संबद्ध वस्तुओं के लिए बहु-मॉडल परिवहन सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकारी(पेरिशेबल) वस्तुएं ग्रीन ग्रिड की स्थापना करना ।

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.)

मार्च, 2012

ई. एन.सी.सी.डी. की कार्यकारिणी (स्टेट्स)

क्र.सं.	नाम एवं पता	पदनाम
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
3	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव, हरियाणा	समिति सदस्य
4	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद से कम नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
5	प्रबंध निदेशक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली- 110016	समिति सदस्य
6	चेयरमैन-सी II टास्क फोर्स ऑन कोल्ड-चेन कॉफेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्राउंड फ्लोर, कोर 4A इंडियन हेबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	समिति सदस्य
7	मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कॉनकोर एच.एस.आई.आई.डी.सी इंडस्ट्रियल इस्टेट राय, सोनीपत-131029 (हरियाणा)	समिति सदस्य
8	निदेशक, एन.सी.सी.डी.	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी. के उपनियमों के अनुसार)

ई. एन.सी.सी.डी. की शासी परिषद(गवर्निंग काउंसिल)

क्र.सं.	नाम	सोसायटी में पदनाम
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002	पदेन सदस्य
3	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
4	संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव का प्रतिनिधि, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव, हरियाणा	पदेन सदस्य
7	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद से कम नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8	अध्यक्ष – ए.पी.ई.डी.ए. एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9	प्रबंध निदेशक सैंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली- 110016	पदेन सदस्य
10	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी./निजी सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
11	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी./निजी सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
12	कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (सी II) के प्रतिनिधि - चेयरमैन-सी II टास्क फोर्स ऑन कोल्ड-चेन, 23 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	सदस्य
13	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज(एफ.आई.सी.सी.आई.) के प्रतिनिधि, फेडरेशन हाउस,तानसेन मार्ग, नई दिल्ली- 10001	सदस्य
14	निदेशक, एन.सी.सी.डी.	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी. के उपनियमों के अनुसार)

उमेश अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2012 तक राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी), नई दिल्ली के लिए संलग्न तुलनपत्र तथा आय और व्यय के लेखा का लेखापरीक्षा किया है, जो कि सोसायटी द्वारा रखे गए खाते की पुस्तकों के अनुसार हैं। सोसायटी दिनांक 27/01/2011 में अस्तित्व में आयी, इसलिए खाते दिनांक 27/01/2011 से दिनांक 31/03/2012 तक तैयार किए गए हैं । ये वित्तीय विवरण सोसायटी प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है ।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकार लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है । उन मानकों की आवश्यकता है कि हम वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण से मुक्त उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । इस लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में अमाउंट्स और खुलासे का समर्थन करने वाले परीक्षण के आधार पर जांच शामिल है । इस लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और सोसायटी प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय और रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

उपर्युक्त विषय और संलग्न अन्य टिप्पण लेखा के साथ पढ़ें, हम रिपोर्ट करते हैं कि -

(क) तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा सोसायटी द्वारा बनाए रखी गई पुस्तकों के साथ हैं ।

(ख) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे आवश्यक थे ।

(ग) हमारी राय में, सोसायटी द्वारा अभी तक खातों की उचित पुस्तकें रखी गई हैं, क्योंकि यह उसकी परीक्षा से प्रकट होती है ।

(घ) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त कथन सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं -

(i) 31 मार्च, 2012 को सोसायटी के मामलों की स्थिति के तुलनपत्र के मामले में ।

(ii) दिनांक 27/01/2011 से 31 मार्च, 2012 की अवधि हेतु आय एवं व्यय खाता के अधिशेष के मामले ।

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
हस्ता./-
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनरशिप सदस्यता नं086294
फर्म रजि. क्रमांक 010325एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

सी -117 गली न.- 8 कांति नगर एक्सटेंशन दिल्ली - 110051

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुलनपत्र

(धनराशि रु. में)

पूंजीगत निधि और देयताएं	टिप्पणियाँ	वर्तमान अवधि	पिछला अवधि
पूंजीगत निधि	1	12,50,00,000.00	एन.ए.
जनरल निधि (आरक्षित और अधिशेष)	2	8,71,701.00	एन.ए.
वर्तमान देयताएं	3	3,62,600.00	एन.ए.
कुल देयताएँ		**12,62,34,301.00**	**एन.ए.**
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम, आदि	4	12,62,34,301.00	एन.ए.
कुल परिसंपत्तियां		**12,62,34,301.00**	एन.ए.
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणयां	6		

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी **कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)	**(श्री जीशान अहमद)**	**(श्री एस. कौल)**	**(श्री संजीव चोपड़ा)**
पार्टनर	**लेखा प्रबंधक**	**सहायक निदेशक**	**कार्यकारी निदेशक**

सदस्यता संख्या 086294

एफआरएन: 010325एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि हेतु आय एवं व्यय लेखा

(धनराशि रु. में)

विवरण	टिप्पणियाँ	वर्तमान अवधि	पिछला अवधि
आय :			
फीस / अंशदान	5		
ब्याज अर्जित		12,00,000.00	एन.ए.
		34,301.00	एन.ए.
कुल (ए)		**12,34,301.00**	**एन.ए.**
राजस्व व्यय :			
लेखांकन शुल्क		5,000.00	एन.ए.
व्यावसायिक शुल्क		33,090.00	
कुल (बी)		**38,090.00**	**एन.ए.**
व्यय से अधिक आय का बैलेंस होना (ए-बी)			
घटाएं : आयकर प्रावधान		11,96,211.00	एन.ए.
जनरल रिजर्व में अंतरण		3,24,510.00	एन.ए.
		8,71,701.00	**एन.ए.**

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

(श्री जीशान अहमद)
लेखा प्रबंधक

(श्री एस. कौल)
सहायक निदेशक

(श्री संजीव चोपड़ा)
कार्यकारी निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2012 तक तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट '1': पूंजीगत निधि का विवरण

(धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	12,50,00,000.00	एन.ए.
कुल	**12,50,00,000.00**	एन.ए.

नोट '2': सामान्य निधि

(धनराशि रु. में)

विवरण	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	0.00	एन.ए.
जोड़ना: व्यय से अधिक आय की अधिकता	11,96,211.00	एन.ए.
घटाना : आयकर प्रावधान	3,24,510.00	एन.ए.
31 मार्च, 2012 को सामान्य निधि में शेष राशि	**8,71,701.00**	**एन.ए.**

नोट '3': वर्तमान देयताओं का विवरण

(धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
इलाही गोयल एवं कं.	5,000.00	एन.ए.
उमेश अग्रवाल एंड कंपनी	33,090.00	एन.ए.
आयकर प्रावधान	3,24,510.00	एन.ए.
कुल	**3,62,600.00**	**एन.ए.**

नोट '4' : चालू परिसंपत्तियां

(धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
बैंक		
इंडियन ओवरसीज बैंक	12,62,34,301.00	एन.ए.
कुल	**12,62,34,301.00**	**एन.ए.**

नोट '5' : फीस / अंशदान

(धनराशि रु.में)

सदस्य का प्रकार	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
सदस्यता शुल्क		
ग्रोअर (एस) और ग्रोएर्स एसोसिएशन	20,000.00	एन.ए.
कोल्ड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर	2,00,000.00	एन.ए.
कोल्ड चेन उपकरण विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता	4,50,000.00	एन.ए.
उपभोक्ता संगठन (एस), प्रतिष्ठित व्यक्ति (एस), निर्यातक(एस), सरकारी संगठन (एस), ऑटोनोमस इंटिट्यूशंस (एस)	2,30,000.00	एन.ए.
संगठित रिटेल स्टोर या फूड प्रोसेसर	50,000.00	एन.ए.
कोल्ड चेन उपकरण निर्माता / आपूर्तिकर्ता	2,50,000.00	एन.ए.
कुल	**12,00,000.00**	**एन.ए.**

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी **कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल) **(श्री जीशान अहमद)** **(श्री एस. कौल)** **(श्री संजीव चोपड़ा)**

पार्टनर **लेखा प्रबंधक** **सहायक निदेशक** **कार्यकारी निदेशक**

सदस्यता संख्या 086294

एफआरएन: 010325एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली
लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां(नोट्स टू अकाउंट्स)

नोट 6 :

लेखांकन नीतियां

1) खातों को लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के बाद एक ऐतिहासिक कंसर्न के आधार पर तैयार किया जाता है और प्रोद्भूत आधार पर आय और व्यय को मान्यता देता है । आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के साथ, अन्यथा लेखाकंन नीतियां को स्वीकार किया गया है।

2) वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियां खरीद के वर्ष में आय और व्यय खाते में प्रभारित की जाती हैं और साथ ही उन पर प्रत्यक्ष और वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए स्थायी परिसंपत्तियां निधि खाता के तहत तुलनपत्र को अंतरित किया जाता है ।

3) निवेश को लागत पर लिया जाता है ।

लेखा पर टिप्पणियाँ(नोट्स टू अकाउंट्स)

1) सोसाइटी का गठन 27-1-2011 को हुआ था । खाते 1 वर्ष और 64 दिनों के लिए बनाए गए हैं । जब पहली बार खाते तैयार किये गए हैं, तो उसमें पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

हस्ता./-
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

(श्री जीशान अहमद)
लेखा प्रबंधक

(श्री एस. कौल)
सहायक निदेशक

(श्री संजीव चोपड़ा)
कार्यकारी निदेशक